भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2607

11 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

महाराष्ट्र में गोदाम और भंडारण सुविधाएं

2607. श्री धनंजय भीमराव महाडिक:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में गोदामों और भंडारण सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया है;

(ख) निर्मित नई भंडारण क्षमता का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित और उपयोग की गई निधियां कितनी हैं; और

(घ) कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने तथा खाद्य सुरक्षा में सुधार हेतु क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): महाराष्ट्र में, मंडल कार्यालय, पनवेल के तलोजा में 50,000 टन क्षमता वाला एक आधुनिक स्टील साइलो प्रचालन में है।

इसके अलावा, केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के सभी खाद्यान्न भांडागारों को स्मार्ट भांडागारों में बदल दिया गया है और पारंपरिक डिपो में धुआं सेंसर, अग्नि सेंसर और गेट खोलने वाले सेंसर आदि जैसे विभिन्न सेंसर लगाए गए हैं ताकि सीओ$_2$, फॉस्फीन स्तर, आग के खतरे, आर्द्रता, अनधिकृत प्रवेश और तापमान जैसे प्रमुख मापदंडों की वास्तविक समय के आधार पर निगरानी की जा सके।

स्मार्ट भांडागार प्रणाली सभी डिपो में वास्तविक समय की जानकारी, समय पर हस्तक्षेप, डेटा-आधारित निर्णय लेने और मानकीकृत प्रचालन सुनिश्चित करता है, जिससे खाद्यान्न का सुरक्षित, संरक्षित और कुशल भंडारण और वितरण सुनिश्चित होता है। महाराष्ट्र में एफसीआई के स्वामित्व वाले 4 डिपो प्रायोगिक परियोजना के तहत रूपांतरित किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सहित देश भर में खाद्यान्न भंडारण सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) द्वारा किए जा रहे प्रमुख उपायों/संरचनात्मक कदमों को **अनुबंध-I** में देखा जा सकता है। पिछले

...2/-

तीन वर्षों में महाराष्ट्र में सीडब्ल्यूसी द्वारा निर्मित जिलावार क्षमता का विवरण **अनुबंध-II** में संलग्न है।

(ग): महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान एफसीआई को आवंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण **अनुबंध-III** में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) नई भंडारण क्षमता निर्माण के लिए अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करता है।

(घ): फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने के लिए एफसीआई और सीडब्ल्यूसी द्वारा किए गए उपायों को **अनुबंध-IV** के रूप में संलग्न किया गया है।

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं 2607 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एफसीआई :

- पुरानी क्षतिग्रस्त बिटुमिनस (बीटी) सड़क को सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़क से बदलना,
- पुरानी क्षतिग्रस्त एस्बेस्टस सीमेंट (एसी) शीट की छत को प्री-कलर कोटेड जीआई प्रोफाइल रूफ शीट से बदलना,
- सभी खाद्य भंडारण गोदामों में प्रकाश व्यवस्था का उन्नयन और पावर बैकअप के रूप में डीजी सेट की स्थापना।

सीडब्ल्यूसी :

- नए भूभाग पर और मौजूदा भांडागारों में उपलब्ध खाली भूमि पर गोदामों का निर्माण करके भांडागारण अवसंरचना का विस्तार करना, और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए पुराने भांडागारों का पुनर्विकास करना।
- बेहतर इन्सुलेशन और तापमान एवं नमी नियंत्रण के लिए पीयूएफ (पॉलीयुरेथेन फोम) पैनल वाले गोदामों की व्यवस्था। भंडारित खाद्यान्न को आग के खतरों से बचाने के लिए गोदामों में फायर हाइड्रेंट, स्मोक डिटेक्टर और स्प्रिंकलर सिस्टम सहित अग्निशमन प्रणालियों की व्यवस्था।
- छत से पानी के रिसाव और अनाज की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए विभिन्न केंद्रों पर पुरानी एसी शीट की छत को प्री-कोटेड गैल्वेल्यूम स्टील शीट से बदला जाना।
- जल रिसाव और कीटों के प्रकोप को रोकने के लिए गोदामों के फर्श, आंतरिक सड़कों, जल निकासी प्रणालियों और चारदीवारी का उन्नयन।
- यंत्रीकरण और वैज्ञानिक भंडारण पद्धतियाँ
- गोदामों में फर्श से नमी सोखने को रोकने के लिए पैलेट/डनेज की व्यवस्था करना
- प्रत्येक भांडागार में तैनात समर्पित तकनीकी कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से धूमन और कीट नियंत्रण उपाय किए जाते हैं।
- भांडागारों में भंडारित स्टॉक की बेहतर सुरक्षा एवं निगरानी हेतु सीसीटीवी कवरेज
- रखरखाव में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा और मशीनीकृत सामग्री-रखरखाव उपकरणों की स्थापना। आईटी-आधारित निगरानी।
- वास्तविक समय में स्टॉक की निगरानी, गुणवत्ता ट्रैकिंग और भंडारण संबंधी अनियमितताओं की शीघ्र पहचान के लिए ईआरपी/भांडागार प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएमएस) का कार्यान्वयन, जिससे नुकसान को कम किया जा सके।
- बेहतर इन्वेंट्री नियंत्रण के लिए चुनिंदा भांडागारों में ऑनलाइन/सीसीटीवी आधारित निगरानी।

- डिपो दर्पण पोर्टल का कार्यान्वयन, जिसमें खाद्यान्न भांडागारों पर विशेष जोर दिया गया है ताकि भांडागारों की उत्कृष्ट स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए समग्र बुनियादी ढांचे का आकलन और सुधार किया जा सके।
- भंडारण की आयतन क्षमता में वृद्धि हेतु प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग-(पीईबी) गोदामों का निर्माण।
- बेहतर इन्सुलेशन और तापमान एवं नमी नियंत्रण के लिए पीयूएफ (पॉलीयुरेथेन फोम) पैनल वाले गोदामों की व्यवस्था।
- भंडारित खाद्यान्न को आग के खतरों से बचाने के लिए गोदामों में फायर हाइड्रेंट, स्मोक डिटेक्टर और स्प्रिंकलर सिस्टम सहित अग्निशमन प्रणालियों का प्रावधान करना।

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2607 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सीडब्ल्यूसी - पिछले तीन वर्षों के दौरान जिलावार आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	राज्य	जिला	सीडब्ल्यू-केन्द्र	संचालन वर्ष	क्षमता (वर्ग फुट)
1	महाराष्ट्र	रायगढ़	कलंबोली	वित्तीय वर्ष 23-24	95826
2	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर	वित्तीय वर्ष 23-24	30261
3	महाराष्ट्र	नांदेड़	नांदेड़	वित्तीय वर्ष 23-24	103296
4	महाराष्ट्र	छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद)	वालूज	वित्तीय वर्ष 23-24	56805
5	महाराष्ट्र	पुणे	इंदापुर	वित्तीय वर्ष 24-25	28990
6	महाराष्ट्र	पुणे	इंदापुर	वित्तीय वर्ष 24-25	62946
7	महाराष्ट्र	रायगढ़	कलंबोली	वित्तीय वर्ष 24-25	22303
8	महाराष्ट्र	गोंदिया	गोंदिया-II	वित्तीय वर्ष 25-26	33130
			कुल		**433557**

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2607 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महाराष्ट्र राज्य में लघु सिविल कार्य (इक्विटी) शीर्ष के तहत बजट आवंटन एवं उपयोग				
				(आंकड़े लाख में)
वित्तीय वर्ष	सिविल		ईएम	
	आवंटित बजट	किया गया व्यय	आवंटित बजट	किया गया व्यय
2023-24	360.00	359.97	819.00	822.30
2024-25	1085.00	1084.99	152.00	151.99
2025-26	1271.36	1268.81	86.00	84.74
2026-27 (दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार)	170.00	0.00		
कुल	**2886.36**	**2713.77**		

राज्य सभा में दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2607 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

भारतीय खाद्य निगम

खरीदे गए खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाए रखने और उसे क्षति से बचाने के लिए एफसीआई द्वारा नियमित रूप से उठाए जा रहे कदम इस प्रकार हैं:

क. स्टॉक का वैज्ञानिक ढंग से भंडारण और संरक्षण

(i) खाद्यान्न का भंडारण, वैज्ञानिक भंडारण पद्धतियों का समुचित रूप से पालन करते हुए किया जाता है।

(ii) फर्श से खाद्यान्न तक नमी को पहुँचने से रोकने के लिए लकड़ी के बक्से, बांस की चटाइयां और पॉलीथीन की शीट जैसी पर्याप्त डनेज सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है।

(iii) सभी गोदामों में अनाज के कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए फ्यूमिगेशन कवर, नायलॉन की रस्सियाँ, जाल और कीटनाशक उपलब्ध कराए जाते हैं।

(iv) गोदामों में रखे अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए बचाव वाले (कीटनाशकों का छिड़काव) और इलाज वाले (फ्यूमिगेशन) उपाय नियमित रूप से और समय पर किए जाते हैं।

(v) चूहों पर प्रभावी नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं, चाहे वे ढके हुए गोदाम हों या कवर्ड तथा प्लिंथ (सीएपी) भंडारण।

(vi) योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टॉक/गोदामों का नियमित अंतराल पर निरीक्षण किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर जांच और सुपर-चेक की व्यवस्था के माध्यम से नियमित अंतराल पर खाद्यान्न की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है।

(vii) गोदामों में अनाज को लंबे समय तक रखने से बचने के लिए, जहाँ तक संभव हो "पहले आवक-पहले जावक" (एफआईएफओ) के सिद्धांत का पालन किया जाता है। इसके अलावा, जो स्टॉक असुरक्षित जगहों पर रखे हैं या जिन्हें कम कड़े मानकों के तहत खरीदा गया है, उन्हें सबसे पहले जारी किया जाता है ताकि भंडारण के दौरान स्टॉक को कोई नुकसान न हो।

(viii) खाद्यान्न के परिवहन के दौरान नुकसान से बचने के लिए केवल ढके हुए रेल वैगनों का इस्तेमाल किया जाता है।

(ix) संचलन के तहत रेलवे वैगनों के फर्श पर पॉलीथीन शीट बिछाई जाती है, ताकि बिखरे हुए खाद्यान्न को एकत्र किया जा सके तथा भंडारित खाद्यान्न को संदूषण से बचाया जा सके।

(x) स्टॉक को चाहे सीएपी में रखा गया हो या ढके हुए गोदामों में, उनमें नियमित रूप से वायु का संचार किया जाता है।

(xi) जब भी स्टॉक प्रभावित होता है, तो उसे अलग करने और उसकी स्थिति सुधारने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है।

ख. अतिरिक्त आधुनिक भंडारण संरचना के लिए क्षमता निर्माण

आधुनिक क्षमता निर्माण के तहत स्टील साइलो बिन बनाए जा रहे हैं, जो खाद्यान्न को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने और उसकी शेल्फ-लाइफ को बढ़ाने में मदद करते हैं।

ग. वैज्ञानिक भंडारण संरचना का समय-समय पर रखरखाव

(क) छत में पानी के रिसाव वाली सभी जगहों की पहचान करना और उनकी मरम्मत करना।

(ख) गोदाम परिसर में नालियों की सफाई सुनिश्चित की गई।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि गोदामों के अंदर कहीं से भी पानी का रिसाव न हो, ताकि पानी जमा न हो।

(घ) मानसून का मौसम शुरू होने से पहले सभी मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना।

केंद्रीय भंडारण निगम

भंडारण के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और प्रचालन दक्षता में सुधार लाने के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण निम्नलिखित है:

(i) भंडारण हानियों पर नियंत्रण बनाए रखने हेतु निगमित कार्यालय के आकस्मिक निरीक्षण तथा विशेष निरीक्षण दलों द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं।

(ii) क्षेत्रीय प्रबंधक उन केंद्रों की सूक्ष्मता से निगरानी करते हैं जहाँ चावल में अपेक्षाकृत अधिक भंडारण हानि तथा गेहूँ में अपेक्षाकृत कम लाभ दर्ज किया जाता है और ऐसे केंद्रों का समीपवर्ती केंद्रों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।

(iii) असामान्य भंडारण हानि के मामलों में शीघ्र जांच सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधकों को संवेदनशील बनाया गया है।

(iv) तकनीकी निरीक्षण रिपोर्टों की बारीकी से जांच की जाती है, जिसमें जमाकर्ताओं के माध्यम से नमी की मात्रा की पुष्टि और भंडारण की अवधि के दौरान स्टॉक में नमी की मात्रा में आई कमी के विश्लेषण पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(v) भंडारण हानियों के संचयन का आकलन करने के लिए तकनीकी निरीक्षण में टालों (स्टैक) के यादृच्छिक परीक्षण भार को शामिल किया गया है।
